प्रति,

अध्यक्ष महोदय जी,
कार्यालय - वि. शि. नि. फोरम रायपुर

विषय: घरेलू कनेक्शन में अधिक बिजली बिल की राशि का निराकरण बाबत।

महोदय जी,

निवेदन है कि मैं राकेश सोरी पिता स्व. मेशा राम सोरी जाति गोंड ग्राम कुम्हारी तहसील मानपुर जिला मोहला मानपुर अं. चौकी का निवासी हूँ। वर्तमान मेरे घर का बिजली बिल कनेक्शन मेरे पिता स्व. मेशाराम के नाम पर है।

उपरोक्तानुसार मेरे घरेलू कनेक्शन में सीमा से अधिक बिजली बिल प्रेषित किया गया है। तथा संबंधित अधिकारीगण को संतोषजनक जवाब रखने पर सुधार करने से इंकार करते हैं।

अतः महोदय जी से अनुरोध है कि, आप कार्यालय के नियमानुसार जांच कर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

स्थान - कुम्हारी
दिनांक - 03/08/2026

भवदीय

मो. नं. 6260703724
9202301897

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
क्रमांक 139
दिनांक 07 AUG 2026
रायपुर ( )

कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड संभाग मोहला

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

छ.रा.वि.मंडल की उत्तरदायी कंपनी

क्र./का.अभि/ मोहला/उपभोक्ता.फो./ 1261 मोहला दिनांक/ 21-08-2026

प्रति ,

मानननीय अध्यक्ष,
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम राजनांदगांव।

विषय :- श्री राकेश सोरी पिता स्व.श्री मंशा राम सोरी बीपी. क्रं. 1000884497 प्रयोजन -घरेलु ,भार - 40 वाट, टैरिफ - LV1DL1SR25, वितरण केन्द्र खडगॉव ,उपसंभाग मोहला संचा./संधा. संभाग मोहला के विद्युत कनेक्शन में त्रुटिपुर्ण विद्युत देयक विवाद का निराकरण प्रतिवेदन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है श्री राकेश सोरी पिता स्व.श्री मंशा राम सोरी ,ग्राम कुम्हारी , बीपी. क्रं. 1000884497 प्रयोजन - घरेलु ,भार - 40 वाट , टैरिफ - LV1DL1SR25, वितरण केन्द्र खडगॉव उपसंभाग मोहला ,संचा./संधा. संभाग मोहला के विद्युत कनेक्शन में त्रुटिपुर्ण विद्युत देयक विवाद का विवरण बिन्दुवार निम्नानुसार है -

(1) उपसंभाग मोहला के अंतर्गत श्री राकेश सोरी पिता स्व.मंशा राम सोरी ग्राम - कुम्हारी ,बी0पी0कमांक 1000884497 ,प्रयोजन -घरेलु भार - 40 वाट , टैरिफ - LV1DL1SR25, वितरण केन्द्र खडगॉव के घरेलु कनेक्शन उपभोक्ता है।

(2) उपभोक्ता आवेदक राकेश सोरी बीपी. क्रं. 1000884497, घरेलु विद्युत कनेक्शन का स्थल निरिक्षण करने पर स्थापित स्मार्ट मीटर का वास्तविक खपत एवं विद्युत बिल के खपत में अंतर पायी गई ,जिसके कारण विद्युत बिल राशि 8611.00 जारी हुआ था ।

(3) उपभोक्ता के बिल, माह मार्च -2026 से जुलाई -2026 तक रिर्वस कर बिल सुधार करने पर राशि 7250/- रू. का बिल किया गया है ।

(4) उल्लेखित त्रुटिपुर्ण जारी देयक 8611/- रूपये के संबंध में बिल सुधार की प्रकिया एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात उपभोक्ता को 7250/- रूपये विद्युत देयक जारी कर दिया गया है। **वास्तविक विद्युत देयक सलंग्न है।**

अतः उपभोक्ता स्व. श्री मंशा राम सोरी , ग्राम कुम्हारी, बीपी. क्रं. 1000884497 मे त्रुटिपुर्ण विद्युत देयक सुधार कर उपभोक्ता को वास्तविक विद्युत देयक जारी कर वाद प्रकरण के निराकरण प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत है।

कार्यपालन अभियंता (सं./सं.) संभाग
छ0स्टे0पॉ0डिस्ट्री0कं0लिमि0मोहला

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक /विउशिनिफोराज./2026/77 राजनांदगांव दिनांक 24/08/26

01. श्री राकेश सोरी पिता स्व. श्री मंशाराम सोरी,
ग्राम कुम्हारी तहसील मानपुर
जिला– मानपुर मोहला अ. चौकी (छ.ग.)

02. कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., मोहला।

विषय :– **प्रकरण क्रमांक/32/2026 पर पारित आदेश**

––00––

विषयांतर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव द्वारा परित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

प्रतिलिपि :

अधीक्षण अभियंता (वृत्त), छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष ए.के. गौराहा)

प्रकरण क्रमांक/32/2026

संस्थित दिनांक 10/08/2026

श्री राकेश सोरी, पिता स्व.श्री मंशाराम सोरी ....परिवादी
ग्राम कुम्हारी तहसील मानपुर जिला– मानपुर मोहला अ. चौकी (छ.ग.)

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, ...उत्तरवादी
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि.,मोहला।

आदेश

(दिनांक 24/08/2026 को पारित)

परिवादी द्वारा अपने घरेलू विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1000884497 के संबंध में यह शिकायत प्रस्तुत कि गई की वास्तविक विद्युत खपत के तुलना में उसे औसत से अधिक विद्युत बिल प्राप्त हो रहे है। शिकायत की समुचित निराकरण नहीं होने से असंतुष्ट होकर परिवादी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

1. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. परिवादी के परिसर में घरेलु विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1000884497, भार 40.00 वॉट उत्तरवादी द्वारा प्रदान की गई है।

ख. परिवादी को मार्च–2026 से जुलाई–2026 की अवधि में अपेक्षाकृत अधिक विद्युत बिल प्राप्त हुये

2. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी की मुख्य शिकायत यह है कि उसके परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन के संबंध में वास्तविक विद्युत खपत की तुलना में औसत से अधिक बिल प्राप्त हो रहे है। जिसके कारण उसे अनावश्यक रूप से अधिक राशि का बिल भुगतान करना पड़ रहा है।

3. प्रस्तुत शिकायत का उत्तरवादी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1261 दिनांक 21.08.2026 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया है। वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

उत्तरवादी द्वारा संबंधित कनेक्शन का स्थल निरीक्षण एवं स्मार्ट मीटर का वास्तविक रीडिंग का परिक्षण किया गया परिक्षण पर पाया गया कि जारी किये गए बिल एवं स्मार्ट मीटर की वास्तविक खपत में अंतर था। फलस्वरूप माह मार्च 2026 से जुलाई 2026 तक बिलों का पुनरीक्षण (Reverse Billing) किया गया तथा राशि 8611/– को संशोधित कर रू. 7250 का सही बिल जारी किया गया। उत्तरवादी के अनुसार परिवादी की शिकायत का स्थायी निराकरण कर दिया गया है तथा परिवादी ने भी संतोष व्यक्त किया है।

4. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

I. उत्तरवादी द्वारा परिवादी के परिसर में विद्युत कनेक्शन जिसका बी.पी. क्रमांक 1000884497 में औसत से अधिक बिजली बिल आने की समस्या थी। क्या उसको सुधार कर दिया गया।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

5. अभिलेखों एवं उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि परिवादी को जारी विद्युत बिलों एवं स्मार्ट मीटर की वास्तविक खपत में अंतर पाया गया था। उत्तरवादी द्वारा उक्त त्रुटि स्वीकार करते हुए मार्च–2026 से जुलाई–2026 तक की अवधि के बिलों का पुनरीक्षण कर संशोधित बिल जारी किया गया परिवादी को पूर्व में प्रेषित विद्युत खपत एवं वर्तमान में सुधार कर प्रेषित दर्ज खपत निम्नानुसार है :

माह	पूर्व में प्रेषित खपत	संशोधित खपत (स्मार्ट मीटर के अनुसार)
मार्च –2026	01	300
अप्रेल–2026	13	408
मई–2026	790	441
जून–2026	400	334
जुलाई–2026	301	208

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उत्तरवादी द्वारा बिलिंग त्रुटि का सुधार कर वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी कर दिया गया है। अतः परिवादी की शिकायत का स्थायी निराकरण हो चुका है तथा परिवादी ने भी संतोष व्यक्त किया है।

6. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है :–

I. कि उत्तरवादी द्वारा मार्च–2026 से जुलाई–2026 तक की अवधि के विद्युत बिलों में पाई गई त्रुटि का पुनरीक्षण कर वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किया जाना न्यायसम्मत पाया जाता है।

7. परिवादी की शिकायत का निराकरण कर दिए जाने के बाद इस प्रकरण में अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

8. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से असंतुष्ट हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.)के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत् कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

आदेश पारित किया गया

(एन.के.साहू)
सदस्य

(ए.के. गौराहा)
अध्यक्ष